न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 178/2017 (उदयपुर डिक्री)

शंकरलाल पिता चतरा जी, जाति ब्राहमण, निवासी रोड़दा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

1/1. नारायणलाल पिता स्वर्गीय श्री शंकरलाल, जाति ब्राहमण, निवासी रोड़दा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. दिनेश पिता स्वर्गीय श्री शंकरलाल, जाति ब्राहमण, निवासी रोड़दा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. रमेश लाल पिता स्वर्गीय श्री शंकरलाल, जाति ब्राहमण, निवासी रोड़दा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. ख्यालीलाल पिता स्वर्गीय श्री शंकरलाल, जाति ब्राहमण, निवासी रोड़दा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/5. श्रीमती गीता बाई पुत्री स्वर्गीय श्री शंकरलाल, जाति ब्राहमण, निवासी रोड़दा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. गणेश पिता चतरा जी, जाति ब्राहमण, निवासी रोड़दा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. शंकर पिता भीमा जी, जाति ब्राहमण, निवासी रोड़दा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. लक्ष्मण पिता भीमा जी, जाति ब्राहमण, निवासी रोड़दा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. भगवान पिता भीमा जी, जाति ब्राहमण, निवासी रोड़दा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

4/1. श्रीमती देवी पत्नी भगवानलाल जी ब्राहमण, निवासी रोड़दा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

4/2. दौलतराम पिता भगवानलाल जी ब्राहमण, निवासी रोड़दा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

4/3. सोहनलाल पिता भगवानलाल जी ब्राहमण, निवासी रोड़दा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

4/4. हिम्मतराम पिता भगवानलाल जी ब्राहमण, निवासी रोड़दा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

4/5. गौतमलाल पिता भगवानलाल जी ब्राहमण, निवासी रोड़दा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:17 IST
Reason: SelfAttested

4/6. श्रीमती भंवरीबाई पुत्री भगवानलाल जी ब्राहमण पत्नी आनन्दीलाल जी नागदा, निवासी धरोद, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

5. दाड़मचन्द पिता जोतचन्द जी महाजन, निवासी दॉतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

5/1. हुकमचन्द पिता दाड़मचन्द जी महाजन, निवासी दांतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

5/2. दवाचन्द पिता दाड़मचन्द जी महाजन, निवासी दांतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

5/3. श्रीमती मावनी बाई पत्नी स्वर्गीय भैरूलाल (पिता दाड़मचन्द जी महाजन), निवासी दांतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

6. उकांरलाल पिता जोतचन्द जी महाजन, निवासी दॉतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

6/1. श्रीमती कस्तूरी बाई पत्नी उंकारलाल जी महाजन, निवासी दांतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

6/1. ब्रजलाल पिता उंकारलाल जी महाजन, निवासी दांतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

7. चोखचन्द्र पिता हेमराज जी महाजन, निवासी दॉतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

7/1. शान्तिलाल पिता चोखचन्द जी महाजन, निवासी दांतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

7/2. चम्पालाल पिता चोखचन्द जी महाजन, निवासी दांतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

7/2/1. बगदीलाल जैन पिता चम्पालाल जी महाजन, निवासी दांतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

7/2/2. श्रीमती लक्ष्मी बाई पुत्री चम्पालाल जी महाजन, निवासी दांतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

7/2/3. श्रीमती पती बाई पत्नी चम्पालाल जी महाजन, निवासी दांतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

8. पन्नालाल पिता दीपचन्द जी महाजन, निवासी दांतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

8/1. भंवरलाल पिता पन्नालाल जी महाजन, निवासी दांतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

8/2. चम्पालाल पिता पन्नालाल जी महाजन, निवासी दांतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:17 IST
Reason: SelfAttested

8/3. धनराज पिता पन्नालाल जी महाजन, निवासी दांतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

9. भीमराज पिता विमलचन्द्र पिता जोतचन्द जी महाजन, निवासी दांतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

9/1. नाथूलाल पिता भीमराज जी महाजन, निवासी दांतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

9/2. छोगालाल पिता भीमराज जी महाजन, निवासी दांतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

9/3. श्रीमती रतन पुत्री भीमराज जी महाजन, निवासी दांतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

9/4. श्रीमती सुशीला पुत्री भीमराज जी महाजन, निवासी दांतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

9/5. श्रीमती शान्ति पुत्री भीमराज जी महाजन, निवासी दांतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

10. चन्दन पिता चतरा जी, जाति ब्राहमण, निवासी रोड़दा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

11. केशा पिता चतरा जी, जाति ब्राहमण, निवासी रोड़दा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

12. श्रीमती नवली बाई पत्नी खेमा जी, जाति ब्राहमण, निवासी रोड़दा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

13. श्रीमती कंकु बाई पुत्री खेमा जी, जाति ब्राहमण, निवासी रोड़दा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 28.03.2011, प्र.सं. 105/06

---/---

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u> 1– श्री सुशील कोठारी अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री ओंकारलाल डांगी अभि.रे.सं. 4/1 से 4/5, 2

3– श्री लक्ष्मीलाल जैन अभि.रे.सं. 8/1 से 8/3, 9/1 स 9/5

4– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 14

---/---

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:17 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 24—08—2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट 10 से 13 द्वारा अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव रोडदा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजी नंबर 227, 234, 241, 270, 271, 289, 416, 417, 419—425, 420, 421, 422, 427, 433, 443, 452, 453—454, 659, 660, 668, 896, 251, 252—254—255, 253, 256, 222, 224, 226, 229, 231, 265, 274, 290, 291, 434, 269, 228, 237, 266—267, 225, 288, 236—268, 230, 240, 258, 260, 263, 264, 239, 246, 257, 259, 249, 250, 248, 235, 218, 219, 272, 273, 220 कुल किता 61 रकबा 43 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 न तो लगान जमा कराता है न ही जमीन के विकास हेतु खर्चे की रकम देता है। उक्त आराजी में से आराजी नंबर 228, 237, 266, 267 चमना पिता रूगजी के रहन थी, जिसे प्रतिवादी संख्या 2 से 4 रहन छुडाना कह कर जमीन पर कब्जा करने की गरज से वादीगण से मारपीट करते हैं। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को वाद वर्णित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन कराया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 5 से 8 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से जवाबदावा को अस्वीकार करते हुए काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 58/83 निर्णय दिनांक 02—08—1983 से प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 26—08—1986 को अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 26—08—1986 से रूष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की, जिस पर मानननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 23—12—1991 से प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः राजस्व अपील अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया, जिस पर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 13–12–2000 से अपीलान्ट/वादीगण की अपील खारिज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02–08–1983 को यथावत रखा, जिसके विरूद्ध वादीगण ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत की, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30–01–2006 से प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया।

प्रकरण रिमाण्ड होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्लीडिंग्स के आधार पर 5 तनकियात कायम की गयी तथा उभयपक्षों की बहस सुन कर तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 28–03–2011 से वादीगण का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया तथा विवादित आराजी नंबर 227, 234, 241, 270, 271, 289, 416, 417, 419–425, 420, 421, 422, 427, 433, 443, 452, 453–454, 660, 659, 668, 896, 251, 252–254–255, 253, 256, 222, 224, 226, 229, 231, 265, 274, 290, 291, 434, 269, 228, 237, 266–267, 225, 288, 236–268, 230, 240, 258, 260, 263, 264, 239, 246, 257, 259, 249, 250, 248, 235, 218, 219, 272, 273, 220 कुल किता 61 रकबा 43 बीघा 1 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित करते हुए वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी संख्या 4 शंकरलाल द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4/1 से 4/5 की ओर से वकील श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8/1 से 8/3 एवं 9/1 से 9/5 की ओर से वकील श्री लक्ष्मीलाल जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। षेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 4/1 से 4/5 तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8/1 से 8/3 एवं 9/1 से 9/2 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8/1 से 8/3 एवं 9/1 से 9/2 की ओर से आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 ज[illegible] आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:17 IST
Reason: SelfAttested

जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022, जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026, जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030, जमाबन्दी संवत् 2031 से 2034, जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059, जमाबन्दी संवत् 2015 से 2018, जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022, जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 की प्रमाणित प्रतियां पेश की। इसके अलावा कुछ अन्य दस्तावेजों की फोटो प्रतियां भी प्रस्तुत की एवं उन्हें रेकार्ड पर लेने का निवेदन किया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 द्वारा प्रस्तुत कर उक्त दस्तावेजों को प्रकरण के निस्तारण के लिए सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज नहीं होना बताते हुए प्रस्तुत दस्तावेजों को रेकार्ड पर नहीं लिये जाने का निवेदन करते हुए आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की।

उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत अप्रमाणित दस्तावेजों को रेकार्ड पर लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती, किन्तु प्रमाणित दस्तावेजात यथा जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022, जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026, जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030, जमाबन्दी संवत् 2031 से 2034, जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059, जमाबन्दी संवत् 2015 से 2018, जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022, जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 प्रमाणित प्रतियां होने से न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8/1 से 8/3 एवं 9/1 से 9/2 की ओर से आदेश 6 नियम 17 एवं सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपने जवाब की कलम संख्या 4 के आगे 4/1 के आगे उक्त कथन जोड़ना चाहते हैं कि "साबिक आराजी नंबर 247 जो कि राजस्व रेकार्ड में विमलचन्द पिता शम्भू महाजन के नाम दर्ज है, जिसके संबंध में वादीगण को किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है एवं साबिक आराजी नंबर 234, 261 व 262 कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा कृषि आराजियात भूमि राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी संवत 2019 से 2022 में लाभचन्द पिता अमोलचन्द के नाम दर्ज थी व लाभचन्द पिता अमोलचन्द से उनके वारिसान अमरचन्द, प्रेमचन्द पिता लाभचन्द के नाम दर्ज हुई तथा अमरचन्द, प्रेमचन्द द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03–11–1987 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8/1 से 8/3 को विक्रय कर दी तत्पश्चात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8/1 से 8/3 खा[illegible]तकार की हैसियत से काबिज हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:17 IST
Reason: SelfAttested

तथा मौके पर उनका एकमात्र स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है। इसी प्रकार साबिक आराजी नंबर 249, 250 कुल किता 2 रकबा पौने 2 बीघा 4 बिस्वा जमीन दीपचन्द पिता दोलचन्द महाजन के नाम पर जिसके हाल आराजी नंबर 614, 615, 616 थे एवं साबिक आराजी नंबर 248 विमलचन्द पिता शम्भूलाल महाजन के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का कोई हक व अधिकार नहीं है, न ही वादीगण उक्त आराजियात के संबंध में कोई किसी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। बिना किसी वाद हेतुक के वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है।'' अतः उक्त इबारत जवाब की कलम संख्या 4 के आगे जोड़ी जाने का आदेश फरमावें ताकि रेस्पोन्डेन्ट अपना पक्ष साबित कर सके।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इतने वर्षो बाद संशोधन की इजाजत नहीं दी जा सकती तथा जो संशोधान चाहे गये हैं वह न तो सुसंगत हैं एवं न ही आवश्यक। अतः आवेदन खारिज किया जावे।

उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर मनन किया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8/1 से 8/3 एवं 9/1 से 9/2 की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दियों अनुसार विवादित भूमियां उनकी खातेदारी में दर्ज हैं। अतः रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8/1 से 8/3 एवं 9/1 से 9/2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 6 नियम 17 एवं सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाकर उक्त आवेदन में अंकित इबारत जवाबदावे में जोड़े जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है।

दौरान बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार आयी साक्ष्य पर कोई विवेचन नहीं किया है, न ही दस्तावेजों का विवेचन किया है तथा मौखिक साक्ष्यों को भी नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से कोई भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद उनका काउण्टर क्लेम स्वीकार किया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है। प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम का एक मात्र आधार दोली बेवा जालमा का नजदीकी रिश्तेदार या वारिस होना बताया है, जबकि स्वयं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से प्रस्तुत सजरे से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होकर वादीगण का दोली बेवा जालमा का नजदीकी रिश्तेदार होना प्रमाणित है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में कोई वसीयत दोली

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:17 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा निष्पादित नहीं की गयी है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट 2 से 4 ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विवेचन करते हुए हमारा काउण्टर क्लेम स्वीकार कर अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8/1 से 8/3 एवं 9/1 से 9/2 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजियात उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है एवं जमाबन्दियों में भी उनके नाम का इन्द्राज है। अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 का वाद दोली बेवा जालमा, दोली बेवा नन्दा की कृषि भूमि से है, वे इस जमीन के वारिस है तो दस्तावेजों से साबित करावें, लेकिन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8/1 से 8/3 एवं 9/1 से 9/2 की बाप दादाओं की खरीद शुदा जमीन के संबंध में कोई घोषणा कराने के अधिकारी नहीं हैं। अतः रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8/1 से 8/3 एवं 9/1 से 9/2 द्वारा क्रय शुदा साबिक आराजी नंबर 249, 250, 234, 261, 262, 247, 248 जिसके हाल आराजी नंबर 614, 615, 616, 649, 650, 651, 664 बने हैं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8/1 से 8/3 के नाम एवं आराजी नंबर 656, 657 रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9/1 से 9/2 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया तथा न्यायालय में हाजा में प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022, 2023 से 2024, 2027 से 2030, 2031 से 2034 में विवादित साबिक आराजी नंबर 234, 261 व 262 रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8/1 से 8/3 के पूर्वाधिकारी लाभचन्द के नाम दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2015 से 2018 में साबिक आराजी नंबर 249 व 250 रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8/1 से 8/3 के पूर्वाधिकारी दीपचन्द महाजन के नाम दर्ज है जो विरासत से जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 में [illegible] संख्या 8/1 से 8/3 के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:17 IST
Reason: SelfAttested

पन्नालाल जी नाम के नाम दर्ज हुई है एवं यही इन्द्राज संवत् 2023 से 2026 की जमाबन्दी में किया हुआ है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3 अनुसार साबिक आराजी नंबर 249 व 250 से हाल आराजी नंबर 614, 615 व 616 बनना प्रमाणित है। जहां तक हाल आराजी नंबर 649, 650, 651 व 664 का प्रश्न है, यह आराजियात जमाबन्दी संवत् 2036 से 2039 में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8/1 से 8/3 के नाम दर्ज है, जो उनके द्वारा इस भूमि के खातेदार अमरचन्द, प्रेमचन्द पिता लाभचन्द से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किये जाने के कारण उनके नाम दर्ज हुई है, जिसका इन्द्राज संवत् 2042 की जमाबन्दी में भी किया हुआ है। इसी प्रकार साबिक आराजी नंबर 247 जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022, 2023 से 2024, 2027 से 2030, 2031 से 2034 में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9/1 व 9/2 के पूर्वाधिकारी विमलचन्द पिता शम्भू महाजन जी नाम के नाम दर्ज है तथा साबिक आराजी नंबर 248 जमाबन्दी संवत् 2015 से 2018, 2019 से 2022 तथा 2023 से 2026 में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9/1 व 9/2 के पूर्वाधिकारी विमलचन्द पिता शम्भू महाजन जी नाम के नाम दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नंबर 248 से हाल आराजी नंबर 657 बनना स्पष्ट है। इस प्रकार साबिक आराजी नंबर 249, 250, 234, 261, 262, 247, 248 से हाल आराजी नंबर 614, 615, 616, 649, 650, 651, 664 657 व 657 बनना स्पष्ट है, जो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8/1 से 8/3 व 9/1 से 9/2 के पूर्वाधिकारियों के नाम दर्ज है।

जहां तक वाद वर्णित अन्य आराजियात का प्रश्न है, वादग्रस्त आराजियात के माफीदार नन्दा व जालमा थे तथा दोनों की पत्नियों का नाम दोली था। खाता संख्या 135 की आराजियात किता 7 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि मु0 दोली बेवा नन्दा के नाम तथा खाता संख्या संख्या 137/1 से 137/4 की आराजियात किता 20 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा भूमि मु0 दोली बेवा जालमा के नाम दर्ज है, जबकि खाता संख्या 136 की आराजियात किता 17 रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा भूमि में मु0 दोली बेवा नन्दा व मु0 दोली बेवा जालमा दोनों का बराबर–बराबर हिस्सा दर्ज है। वादीगण का कथन है कि उनके पिता चतरभुज को दोली बेवा नन्दा ने गोद रखा, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का कथन है कि वे दोली बेवा जालमा के वारिस हैं, किन्तु इस तथ्य को दोनों ही पक्षों द्वारा साबित नहीं कराया है, इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को दोली बेवा जालमा का वारिस मानते हुए उनका [illegible] स्वीकार करते हुए विवादित समस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:17 IST
Reason: SelfAttested

आराजियात का खातेदार घोषित कर दिया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने स्वयं अपने तनकीवार विवेचन में तनकी नंबर 1 में यह माना है कि ''सर्वप्रथम बन्दोबस्त सवत 1994–1995 में हुआ तथा वादग्रस्त आराजियात के नन्दा व जालमा दोनों की माफीदार थे तथा दोनों की पत्नियों का नाम दोली था। खाता संख्या 135 आराजी किता 7 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा मु0 दोली बेवा नन्दा तथा खाता संख्या 137/1 से 137/4 आराजी किता 20 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा मु0 दोली बेवा जालमा के खाते दर्ज हुई तथा दोनों के शामलाती खाते की भूमि खाता संख्या 136 आराजी किता 17 रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा में दोनों का बराबर हिस्सा दर्ज है। दोली पिता नन्दा ने चतरभुज, जो वादीगण के पिता हैं को गोद रखा। दोली पत्नी जालमा के वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 4 हैं। संवत् 2019 से 2022 तक दोली पत्नी जालमा के नाम खाता था, बाद में वादीगण के नाम किस प्रकार आ गया स्पष्ट नहीं है, न ही किसी प्रकार का कोई नामान्तरकरण है। साथ ही नकल जमाबन्दी मेवाड़ सेटलमेन्ट संवत 1997 में खाता संख्या 136 की आराजी नंबर 251, 252, 254, 255, 253, 256, 239, 246, 257, 259, 230, 240, 258, 260, 263, 264, 249, 250, 248 कुल किता 17 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा मु0 दोली बेवा नन्दा 1/2 तथा मु0 दोली बेवा जालमा 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा खाता संख्या 137/1 में 222, 224, 226, 229, 231, 265, 274, 290, 291, 218, 219, 272, 273, 235, 220 खाता संख्या 137/2 में आराजी नंबर 233, खाता संख्या 137/3 में आराजी नंबर 247 एवं खाता संख्या 137/4 में आराजी नंबर 234, 261, 262 मु0 दोली बेवा जालमा के खुदकाश्त दर्ज है।''

उक्त आधार पर तनकी नंबर 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित कर दी एवं इसी को आधार मानकर अन्य तनकियां भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित कर दी हैं, जबकि स्वयं अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण के पिता चतरभुज को दोली बेवा नन्दा के गोद जाने का कथन अंकित किया है तथा विवादित खाता संख्या 136 की कुल किता 17 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा भूमि में दोली बेवा नन्दा का 1/2 हिस्सा दर्ज होने का कथन अंकित किया है, किन्तु इसके बावजूद भी वादीगण का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को विवादित समस्त आराजियात कुल किता 61 रकबा 43 बीघा 1 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित कर दिया, जबकि स्वयं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने अपने काउण्टर क्लेम में विवादित खाता संख्या [illegible] की कुल किता 17 रकबा 13 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:17 IST
Reason: SelfAttested

14 बिस्वा भूमि में दोली बेवा नन्दा का 1/2 हिस्से मानते हुए 1/2 हिस्से की ही खातेदारी चाही है। इससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा चाही गयी दाद एवं उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने के कारण अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–03–2011 अपास्त की जाती है तथा साबिक आराजी नंबर 249, 250, 234, 261, 262 से बने हाल आराजी नंबर 614, 615, 616, 649, 650, 651, 664 का रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8/1 से 8/3 को तथा साबिक आराजी नंबर 247 व 248 से बने हाल आराजी नंबर 656 व 657 का रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9/1 व 9/2 को खातेदार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा वाद वर्णित शेष आराजियात बाबत् पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में मु0 दोली बेवा नन्दा व मु0 दोली बेवा जालमा के उत्तराधिकारियों का पक्षकारान से सिविल न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करें, तत्पश्चात उभयपक्षों को सुनकर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 24–08–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:17 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम...............**उदयपुर**.............
व इजलास ....**एम.एल. चौहान, आर.ए.एस.** ....

शंकरलाल मृतक के बजाय नारायणलाल नि0 रोड़दा, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य <u>बनाम</u> **गणेश पिता चतरा जी ब्राहमण, नि0 रोड़दा, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.........**178/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....**उपखण्ड अधिकारी**............
..............**गिर्वा**........... मुकाम...............मुवर्खे..........**28**..................माह...................**03**....................**2011**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**24**..........माह...........**08**..........सन् **2021** रूबरू.........**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री सुशील कोठारी**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री ओंकारलाल डांगी/लक्ष्मीलाल जैन**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–03–2011 अपास्त की जाती है तथा साबिक आराजी नंबर 249, 250, 234, 261, 262 से बने हाल आराजी नंबर 614, 615, 616, 649, 650, 651, 664 का रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8/1 से 8/3 को तथा साबिक आराजी नंबर 247 व 248 से बने हाल आराजी नंबर 656 व 657 का रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9/1 व 9/2 को खातेदार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा वाद वर्णित शेष आराजियात बाबत् पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में मु0 दोली बेवा नन्दा व मु0 दोली बेवा जालमा के उत्तराधिकारियों का पक्षकारान से सिविल न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करें, तत्पश्चात उभयपक्षों को सुनकर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करें।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........**X**.......)............रूपये.......**X**........... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख............**24**..............माह.............**08**............**2011** को जारी किया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चे का कुल जोड़ अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:17 IST
Reason: SelfAttested